



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22112023-250205
CG-DL-E-22112023-250205

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 677]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 22, 2023/अग्रहायण 1, 1945

No. 677]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 2023/AGRAHAYANA 1, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवंबर, 2023

सं. 13/2023-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 860(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'प्राकृतिक अम्लक आधारित पर्ल इंडस्ट्रीयल पिगमेंट्स, कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर' के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 47/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 26 अगस्त, 2021, जिसे सा.का.नि. 590 (अ), दिनांक 26 अगस्त, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के मामले में शुल्क के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता के संबंध में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/17/2022-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितम्बर, 2022, जिसे दिनांक 30 सितम्बर, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/17/2022-डीजीटीआर, दिनांक 27 सितम्बर, 2023, जिसे 27 सितम्बर, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने मध्यकालिक समीक्षा के अंतिम निष्कर्षों में यह सिफारिश की है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 47/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 26 अगस्त, 2021, जिसे सा.का.नि. 590 (अ), दिनांक 26 अगस्त, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, की मौजूदा शुल्क तालिका में संशोधन किया जाए।

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 47/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 26 अगस्त, 2021, जिसे सा.का.नि. 590 (अ), दिनांक 26 अगस्त, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	मुद्रा	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	32064990, 32061900, 32041759, 32041739, 32041720, 32041790, 32071040, 32061110, 32061190	प्राकृतिक अभ्रक आधारित पर्ल इंडस्ट्रीयल पिगमेंट्स, कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	फुज़ियान कुनकाई मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	299	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	झेजियांग कोलोरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	2913	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	हेनान लिंगवाओ नई सामग्री प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड	2353	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	क्रमांक 1 से 3 के अलावा कोई भी निर्माता	3144	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी निर्माता	3144	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर”।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/148/2021-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 47/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 26 अगस्त, 2021 को सा.का.नि 590 (अ), दिनांक 26 अगस्त, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 70/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 दिसंबर, 2021, जिसे सा.का.नि 863(अ), दिनांक 17 दिसंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2023

No. 13/2023 -Customs (ADD)

G.S.R. 860(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification number 7/17/2022-DGTR, dated the 30th September, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 30th September, 2022, had initiated review under sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), regarding the need for redetermination of duty in the matter of anti-dumping duty imposed on imports of ‘Natural mica-based pearl industrial pigments excluding cosmetic grade’ (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 47/2021 – Customs (ADD), dated the 26th August, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 26th August, 2021;

And whereas, the designated authority in its final findings in the mid-term review *vide* notification No. 7/17/2022-DGTR, dated the 27th September, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 27th September, 2023, has recommended modification of existing duty table in notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 47/2021 – Customs (ADD), dated the 26th August, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 26th August, 2021;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 47/2021 – Customs (ADD), dated the 26th August, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 26th August, 2021, namely:-

In the said notification, for the Table, the following shall be substituted, namely: -

“TABLE

Sl.No.	Tariff Item	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	32064990, 32061900, 32041759, 32041739, 32041720, 32041790, 32071040, 32061110, 32061190	Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade	China PR	Any country including China PR	Fujian Kuncai Material Technology Company Limited	299	Per MT	US\$
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Coloray Technology Development Co., Ltd.	2913	Per MT	US\$

3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Henan Lingbao New Materials Technology Co., Ltd	2353	Per MT	US\$
4	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than serial no 1 to 3	3144	Per MT	US\$
5	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any Producer	3144	Per MT	US\$".

[F. No. CBIC-190354/148/2021-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note : The principal notification No. 47/2021-Customs (ADD), dated the 26th August, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 26th August, 2021 and last amended *vide* notification No. 70/2021-Customs (ADD), dated the 17th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 863(E), dated the 17th December, 2021.